रजिस्ट्री सं० डी-(डी)-72 REGISTERED No. D-(D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 58] नई दिल्ली, सोमवार, फरवरी 4, 1974/माघ 15, 1895
No. 58] NEW DELHI, MONDAY, FEBRUARY 4, 1974/MAGHA 15, 1895

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT

NOTIFICATION

New Delhi, the 4th February 1974

S.O. 89(E).—Whereas by the notification of the Government of India in the late Ministry of Foreign Trade No. S.O. 74(E), dated the 5th February, 1973, the Central Government in exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of section 7 of the Sick Textile Undertakings (Taking Over of Management) Act, 1972 (72 of 1972), declared that the operation of all the contracts, assurances of property, agreements, settlements, awards, standing orders or other instruments in force immediately before the date of issue of the said notification to which the industrial undertakings specified in column 2 of the Schedule to the said notification or the companies owning such undertakings as specified in column 3 of the said Schedule are parties or which may be applicable to the said industrial undertakings or companies, shall remain suspended for a period of one year from such date, and that all the rights, privileges, obligations and liabilities (except those relating to banks and financial institutions) accruing or arising thereunder before the said date shall remain suspended for the said period;

And whereas, the Central Government is satisfied that the duration of the said notification, should be extended by a further period of one year;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 7 of the Sick Textile Undertakings (Taking Over of Management) Act, 1972 (72 of 1972), the Central Government hereby extends the duration of the said notification by a further period of one year.

[No. F. 28013/159/73-NTC]
D. K. SAXENA, Jt. Secy.

औद्योगिक विकास मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 फरवरी, 1974

का० आ० 89 (अ).—यतः केन्द्रीय सरकार ने, रुग्ण वस्त्र उपक्रम (प्रबंध ग्रहण) अधिनियम, 1972 (1972 का 72) की धारा 7 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के भतपूर्व विदेश मंत्रालय की अधिसूचना सं० का०आ० 74(इ), तारीख 5 फरवरी, 1973 द्वारा घोषणा की थी कि उक्त अधिसूचना के जारी होने की तारीख के ठीक पूर्व प्रवृत्त ऐसी सभी संविदाओं, सम्पत्ति के हस्तान्तरण-पत्रों, करारों, व्यवस्थापनों, पंचाटों, स्थायी आदेशों या अन्य लिखतों जिनके उक्त अधिसूचना की अनुसूची के स्तंभ 2 में विनिर्दिष्ट औद्योगिक उपक्रम या उक्त अनुसूची के स्तंभ 3 में यथा विनिर्दिष्ट उपक्रमों का स्वामित्व रखने वाले कम्पनियां पक्षकार हैं या जो उक्त औद्योगिक उपक्रमों या कम्पनियों को लागू हों, का प्रवर्तन, ऐसी तारीख से एक वर्ष की अवधि के लिए निलम्बित रहेगा और उक्त तारीख के पूर्व उनके अधीन प्रोद्भूत या उद्भत होने वाले सभी अधिकार, विशेषाधिकार, बाध्यताएं और दायित्व उक्त अवधि के लिए निलम्बित रहेंगे;

और यतः केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त अधिसूचना की अवधि एक वर्ष की और अवधि के लिए बढ़ायी जानी चाहिए;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार रुग्ण वस्त्र उपक्रम (प्रबंध ग्रहण) अधिनियम, 1972 (1972 का 72) की धारा 7 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिसूचना की अवधि एक वर्ष की और अवधि के लिए विस्तारित करती है ।

[सं० फा० 28013/159/73-एम टी सी]

डी० के० सक्सेना, संयुक्त सचिव ।

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1974